

सं० सं० 14/एम 11-1/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फूलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक.....

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शैलेन्द्र कृष्ण मूर्ति पिता- आशदीप सिंह ग्राम- नौडीहा पो०- जमुआवा थाना- दाउदनगर जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत।
2	विद्यावती देवी पति- जगनारायण मिश्रा ग्राम- उधुरा पो०- दल्लूपुर थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर	LCS	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सुरेन्द्र यादव पिता- बिलत यादव ग्राम- अजनी पो०- बारा थाना- जहानाबाद जिला- जहानाबाद	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
4	सरोज कुमार सिंह पिता- रघुबीर सि ग्राम- नैनी उत्तर टोला पो०- नैनी थाना- मुफ्फसिल जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अरविन्द कुमार पिता- वलीराम सिंह ग्राम- कारीसोवा पो0- कारी थाना- वजीरगज जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	मो0 शहजाद पिता- मो0 शाहबुद्दीन ग्राम- दरगाह रोड पो0- महेन्दू थाना- सुल्तानगज जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	उमा देवी पति- मुकेश सिंह ग्राम- मरवा पो0- राजापट्टी थाना- बैकुण्ठपुर जिला- गोपालगज	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	रौशन खातून पति- अब्दुल क्यूम मिया ग्राम- सिसवा खुर्द पो0+थाना- दाउदपुर जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	प्रीति देवी पति- रजन कुमार यादव ग्राम- फुलहारा पो0- पुनसिया थाना- बाराहाट जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	शाजिया प्रवीन पिता- मो0 शरीफ ग्राम- फेकू टोला पो0- कालीप्रसाद थाना- पीरपैती जिला- भागलपुर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
11	प्रियका कुमारी पति- अजय कुमार गिरी ग्राम- बक्शी मोहल्ला पादरी की हवेली पटना सिटी पो0- झारुगज थाना- खौंजेकला जिला- पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
12	नेहा कुमारी पति- सजय कुमार ग्राम- शकरपुर पो0- ठकुराई परसियाँ थाना- नासरीगज जिला- रोहतास	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

13	मूर्ति देवी पति- अशोक प्रसाद सिंह ग्राम- झाखरा पो0- बहादुरपुर थाना- अलौली जिला- खगडिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	सुशीला देवी पति- बीरेन्द्र महतो ग्राम+पो0- बेरुई थाना- बनियापुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	उत्तिम ठाकुर पिता- रामसागर ठाकुर ग्राम- पकडी पो0- बिशनपुर थाना- साहरघाट जिला- मधुबनी	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
16	सुधीर कुमार पिता- नथुन प्रजापत ग्राम- सुरुगाबिगहा पो0- करियादपुर थाना- फतेहपुर जिला- गयाजी	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
17	मीणा देवी पति- ब्रज किशोर यादव ग्राम- बलुआघट्टी पो0- हेमकुज थाना- अमदाबाद जिला- कटिहार	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
18	रोहन कुमार पिता- सन्दु कुमार ग्राम+पो0- प्यारेपुर थाना- सरमेरा जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
19	निधि कुमारी पिता- सकलदीप कुमार ग्राम- मुसैला वार्ड 06 पो0- मुसैला थाना- मोहनपुर जिला- गयाजी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	विकास कुमार साव पिता- सदीप कुमार ग्राम- सैदापुर पो0- गोवासा थाना- नरहट जिला- नवादा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

21	हर्ष कुमार पिता- रणजीत कुमार ग्राम- बर्मा पो0- कैथवन थाना- सिरारी जिला- शेखपुरा	द्रामा	1,00,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	नागेन्द्र राय पिता- मुंशी राय ग्राम- निजामचक पो0- उन्हचक थाना- दिघवारा जिला- सारण	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
23	अरुण कुमार पिता- विन्देश्वर पासवान ग्राम+पो0- आगानुर थाना- कलेर जिला- अरवल	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
24	पिकी कुमारी पिता- सुरेद्र प्रसाद सिन्हा ग्राम- विकाश नगर कॉलोनी पटना सिटी पो0- महेन्द्रू थाना- आलमगज जिला- पटना	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
25	रुबी देवी पति- पकज कुमार ग्राम+पो0- कटरमाला थाना- डडारी जिला- बेगूसराय	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
26	पप्पू पाण्डेय पिता- अनिल पाण्डेय ग्राम- मोगलपुरा लाला टोली पो0- झाऊगज थाना- खौंजेकला जिला- पटना	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
27	पिशु प्रियका पति- रूपेश कुमार ग्राम- सलोना चक पो0- रेहुआ थाना+जिला- लखीसराय	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
28	जनार्दन साह पिता- दीनानाथ साह ग्राम- रसूलपुर पो0- नगरा थाना- गौरा बाजार जिला- सारण	नी रिफ्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।

29	विकास कुमार शर्मा पिता- अशोक कुमार शर्मा ग्राम+पो0- गोसाईपुर थाना- राजपुर जिला- बक्सर	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
30	मो0 नौशाद पिता- मो0 शहबान धोबी ग्राम- राय जय कृष्ण रोड गुरहट्टा पो0- झाऊगज थाना- खॉजेकला जिला- पटना	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
31	सिफाली देवी पति- अवधेश बहादुर ग्राम- खोजा इमली पूणेदु नगर पो0+थाना- फुलवारीशरीफ जिला- पटना	कैसर रोग	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
32	सुमित्रा कुमारी पति- बासुदेव पासवान ग्राम- बहवलपुर पो0- सेहान (भाया-बाघी) थाना- कटहरा जिला- वैशाली	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	स्नेहा कुमारी पिता- सजय कुमार चौधरी ग्राम- खिरौतीगढ पो0- कोरमा, थाना- घोषी जिला- जहानाबाद	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
34	पिकी देवी पति- ओम प्रकाश राय ग्राम- डुमरी अड्डा पाडेय टोला पो0- डुमरी अड्डा थाना- डोरीगज जिला- सारण	ड्रामा	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
35	किरण कुमारी पिता- स्व0 घुरफेकन प्रसाद ग्राम- भभुआ वार्ड 17 पो0+थाना- भभुआ जिला- कैमूर भभुआ	ड्रामा	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
36	उज्ज्वल तिवारी पिता- बबलू तिवारी ग्राम- पिपरहिया पो0 उसुरी काला थाना- इसुआपुर जिला- सारण	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।
37	अफान असारी पिता- अब्दुल्लाह असारी ग्राम+पो0- अमदेई थाना- रामगढवा जिला- पूर्वी चम्पारण	कोकलियर इम्प्लान्ट	4,25,000	चार लाख पच्चीस हजार स्वीकृत।

38	टूनटून कुमार पिता- लालू पासवान ग्राम- गोरई वार्ड 02 पो0- बलहा जयनारायण थाना- चकमेहसी जिला- समस्तीपुर	ड्रामा	1,80,000	एक लाख अस्सी हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
39	धर्मशीला देवी पति-बिरेन्द्र तुरहा ग्राम+पो0-शाहपुर थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर	हृदय रोग पी0टी0सी0ए0	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			43,05,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 43,05,000/- (तेतालीस लाख पांच हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 002614 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 579310110008985 खाता धारक का नाम-Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना,बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं0 BKID 0005793 मे अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।

7. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभुको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1126(14)

पटना, दिनाक 22/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 ~~002677~~ की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई0 टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख
22/4/26

सं0सं0-14/एम 11-02/2026
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० (श्रीमती) रेखा झा,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रूबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्पर,
पटना-800013

पटना, दिनांक. . .

विषय- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 08.04.2026 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निर्बंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सध्या देवी पति- किशोर कुमार सिंह ग्राम+पो0- प्रतापपुर थाना- अवतारनगर जिला- सारण	हृदय रोग Dual Chamber Pacemaker	2,50,000	दो लाख पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			2,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०-30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 002673 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस०एम०ई० ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन (CGHS) के दर पर ही निर्गत किया जाय।
- यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121320124, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजनाओं से अच्छादित लाभको को मुख्यमंत्री चिकित्स सहायता कोष का लाभ देय नहीं होगा।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० (श्रीमती) रेखा झा)


निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1200(14)

पटना, दिनांक 24/4/2026

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलक सं० 002673.....की कुल राशि का अतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (दीन प्रतियो मे) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक प्रमुख